

18-2-2024

रजि.नं. : 55-1968-69

श्री (चित्रगुणम)



# ॐ कायस्थ जनरल सभा ॐ

कायस्थ सभा भवन, सर प्रताप स्कूल परिसर, एम.जी.एच. रोड, जोधपुर-342 001

फोन : कार्यालय : 2637688 अध्यक्ष : 93092-77060

नया कचरा - 98290-13422  
(नरेश भंडारी)

क्रमांक K65/17-18/219

दिनांक



*Also  
pl- take factual  
report from  
WB Es. Jodhpur  
& them process.*  
22/12/17

श्रीमान उप आवासन आयुक्त,  
रा. आ. मण्डल वृत्त II  
जोधपुर

विषय:- कायस्थ जनरल सभा जोधपुर को सेक्टर 17 ई चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में सामाजिक कार्यों हेतु आवंटन नीति 2015 के तहत पुनः आवंटन के सम्बन्ध में। (डाफ्ट डेटा नंबर 1/21/500/- न. 730624/20.12.17)

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कायस्थ जनरल सभा जोधपुर, जो कि कायस्थ समाज की पंजीकृत संस्था है संस्था का सामाजिक एवं समाज के सार्वजनिक विभिन्न कार्यों हेतु आदेश संख्या 1045 दिनांक 01.08.2013 के द्वारा सेक्टर 17 ई चौपासनी योजना में 1336.85 वर्ग मीटर भूमि का आरक्षित दर से आवंटन की गई थी। उक्त आवंटित भूमि के नीचे पानी की अनेक लाईने है, जिसका उल्लेख आवंटन पत्र में है। उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु मण्डल द्वारा आवंटन पत्र जारी किया गया है। जिसके अनुसार समाज को 392.70 लाख रुपये जमा करवाने थे। इस संदर्भ में निवेदन है कि कायस्थ जनरल सभा एक सामाजिक संस्था है। संस्था अपनी आय को गरीब, असहाय, व विधवाओं को मासिक आर्थिक पेंशन, स्वर्गाश्रम में लकड़ियों की व्यवस्था, गम्भीर रोग से पीड़ितों को आर्थिक चिकित्सा सहायता, स्कूल संचालन के लिये आर्थिक सहयोग, उच्च शिक्षा हेतु निःशुल्क पुस्तकालय की व्यवस्था व अन्य सामाजिक गतिविधियों के संचालन में सदुपयोग करती है।

इस हेतु संस्था द्वारा निवेदन किया गया था राज्य सरकार द्वारा पूर्व की सरकार के 6 माह के निर्णय की समीक्षा के तहत विभाग द्वारा आवंटन रद्द कर दिया गया था। कृपया आवंटन पूर्णजीवित (Restore) कर समाज के इन पुनीत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान सरकार द्वारा घोषित नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन

श्रीमान

रजि.नं. : 55-1968-69



# ॐ कायस्थ जनरल सभा ॐ

कायस्थ सभा भवन, सर प्रताप स्कूल परिसर, एम.जी.एच. रोड, जोधपुर-342 001

फोन : कार्यालय : 2637688 अध्यक्ष : 93092-77060

क्रमांक

दिनांक

नीति 2015 के तहत सामाजिक संस्था को रियायती दर पर भूमि को आरक्षित दर के रियायती दर लगवाने हेतु राज्य सरकार की एम्पावर्ड कमेटी को निर्देश प्रदान करावे। कायस्थ समाज की ओर से अग्रीम आभार।

न:- आवंटन पत्र

शिलान्तः - D.D

Deva Bank 730624

20.12.2017

भवदीय

श्री पी. माथुर

(ओ. पी. माथुर)

अध्यक्ष

मोबाईल न. 9309277060

अधिष्ठित लिखित

प्रपत्र -अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम कायस्थ जनरल सभा, जोधपुर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) डो. पी. माथुल
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. मठांमो गांधी अस्पताल
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य सोसायटी सि.सा. 6112
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) 1340 Sqm
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 1340 Sqm.
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
  - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
  - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन्स
  - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट
  - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
  - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
  - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिसाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : .....

स्थान : .....

नाम व पद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कायस्थ जनरल सभा  
जोधपुर

11

परिशिष्ट-1

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि-आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	आ. जे. माथुर
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	अहमदपुर का मध्यम नगर (अ.न.)
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	जोधपुर खसरा 17 ई. च. 1. 1.
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	55/1968-69
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	सलबत
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	नलगेन
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक ससाधनों का विवरण।	नलगेन

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	निम्न एवं मध्यम वर्ग
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	1340 इक्व रियायती दर पर आवंटन नहीं किया गया
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	न. शा. म. पूर्ण आरक्षित दर
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	आवंटन पर आंशिक
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	विभागीय दर
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	विभागीय दर
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	नगर निगम सीमा
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	पुरम उर्ध्व गिय आंशिक दर
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	-
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है, तो उसका विवरण	-
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	सामुदायिक आर्षि दर
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	न्यूनतम दर
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	निम्न दर
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	-
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
अन्य विवरण	-

बी. ए. ए.  
अध्यक्ष  
कायस्थ जनरल सभा

राजस्थान एवं पदाधिकारियों का  
रजिस्ट्रेशन

राजस्थान सरकार



**रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र**

क्रमांक 55 19 68-69

बह प्रमाणित किया जाता है कि अश्वत्थ बनस्य जमा जोधपुर  
जिला जोधपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम  
नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।



यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
नांक 28 माह जुलाई सन् एक हजार नौसौ अठसठ को  
जोधपुर में दिया गया।

*(Signature)*  
रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान,  
जोधपुर।

हस्ताक्षर पढ़ने वाले के .....	<i>(Signature)</i>
हस्ताक्षर सुनने वाले के .....	21/5/2004
नकल हेतु प्रमाण पत्र का दिनांक .....	6/6/2004
नकल तैयार करने का दिनांक .....	6/6/2004

रजिस्ट्रार (संस्था)  
जोधपुर

वर्तमान पदाधिकारियों के नाम एवं पद

- |                 |            |              |             |             |
|-----------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| श्री. पी. माधुल | विमल माधुल | राजेश रणेश   | कमलेश माधुल | राजेश माधुल |
| अध्यक्ष         | उपाध्यक्ष  | महासचिव      | महासचिव     | सहसचिव      |
| बैरव माधुल      | संजय माधुल | निर्मल माधुल | संजय माधुल  | निमेश माधुल |
| सहसचिव          | सहसचिव     |              |             |             |
- (Signature)*